मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज मांगराम बनाम हरीनी मु. सं.		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.8.22	वादीगण जरिये वकील श्री धर्मसिंह राजपूत एडवोकेट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली तलब की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि हम पक्षकारान के मध्य आपसी बाहमी राजीनामा हो गया है तथा राजीनामा होने के कारण अब हम मुकदमे को आगे चलाना नहीं चाहते है और प्रकरण को विड्रा करना चाहते है। वादीगण की तस्दीक श्री धर्मसिंह राजपूत एड० द्वारा की गई एवं वकील प्रतिवादी श्री भंवर सिंह गुर्जर द्वारा राजीनामा व विड्रो करने हेतु कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। इस प्रकरण हेतु दिनांक 13.8.22 को पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से सहखातेदारों को भूमि का विभाजन तहसीलदार महवा के कार्यालय में तस्दीक भी कराया जा चुका है। प्रा० पत्र पर अन्य पक्ष को सुनने के बाद वादपत्र को विड्रो करना स्वीकार योग्य है। अतः वादीगण का वादपत्र पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हो जाने के फलस्वरूप खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा	अहलमद Dharam Mag